निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 69 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, सितारगंज, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, सितारगंज के माह 05/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 23/10/2018 से 2/11/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार ,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 24/05/2017 से 02/06/17 तक श्री वी एस पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2017 से 9/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला ऊधम सिंह नगर एव पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-		255.55	240.13	4031.22	4031.22	15.42	
2016-2017	-		361.18	319.31	3705.39	3665.39	41.87	40.00
2017-2018	-		350.58	333.32	1329.81	1329.81	17.26	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "A" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गढवाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुंमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गढवाल यमुना कालोनी देहरादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहरादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6) प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ सहायक।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, सितारगंज को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, सितारगंज, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 6/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 13/03/2018 को निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... तथा ..... तक की गई। (पंजिका अपूर्ण थी)
5. फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` 18,55,48,191.00

   भाग द्वितीय ` (-) 60,97,189.00

   खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम .....

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप (रु मे) .....

   (ङ) भण्डार .....

भाग 2 अ

प्रस्तर-1 : रु 69.61 लाख धनराशि का संदिग्ध आहरण ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 76 के अनुसार The divisional officer will take necessary steps for obtaining cash for the works under his control, keep his accounts and submit them punctually to the Accountant General, under the rules for the time being in force and exercise a thorough and efficient control and check over his divisional accountant. He will also before submitting the monthly accounts carefully examine the books, returns and papers from which they are compiled.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 77 के अनुसार The divisional officer is responsible for the correctness, in all respects, of the original record of cash and stores, receipts and expenditure and for seeing that complete vouchers are obtained. He is also responsible to see that his accounts are regularly posted from day to day and that the accountant carries out his duties regularly and punctually. The relative position of a divisional accountant to the divisional officer in respect of accounts is analogous to that of a sub-divisional officer to a divisional officer in respect of works, and the responsibilities of the latter for the work of the divisional accountant are similar to those which attach to him in respect of the execution of woks in the charge of other subordinates.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 78 के अनुसार The divisional officer is responsible for the detailed assessment of the revenue to be obtained from irrigation and navigation works within his division and will maintain such records and accounts for the purpose as may be prescribed.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 93 के अनुसार It is not sufficient that an officer's accounts should be correct to his own satisfaction. A disbursing officer has to satisfy not only himself, but also the Audit Department, that a claim which has been accepted is valid, that a voucher is a complete proof of the payment which it supports, and that an account is correct in all respects. It is necessary that all accounts should be so kept and the details so fully recorded, as to afford the requisite means for satisfying any enquiry that may be made into the particulars of any case, even though such enquiry may be as to the economy or the bona fides of the transactions. It is further essential that the records of payment, measurement and transactions in general must be so clear, explicit and self-contained as to be producible as satisfactory and convencing evidence of facts, it required in a court of law. All transactions involving the giving or taking of cash, stores, other properties rights, privileges and concessions which have money values should be brought to account. The record of transaction of receipt or expenditure should always be made at once under the final or the debt or remittance head to which it pertains, if that be known; but if the exact head cannot be ascertained at once, then the transaction should be temporarily classified under the head "Deposits" if a receipt or under Miscellaneous P.W. Advances, it a charge.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 98 के अनुसार (i) As accountant, i.e. as the compiler of the accounts of the division in accordance with the prescribed rules and from the data furnished to him;

(ii) As internal checker charged with the responsibility of applying certain preliminary checks to the initial accounts, vouchers etc.

(iii) As financial assistant, i.e., as the general assistant and adviser to the divisional officer in all matters relating to establishment, the accountants and budget estimates, or to the operation of financial rules generally.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 129 के अनुसार Cashiers may be appointed whenever in the opinion of the Government, the cash transactions of a division or sub-division are sufficiently to require it.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 130 के अनुसार One cashier may make the cash payments of two or more sub-divisions, or throughout the whole of a division, whenever such an arrangement is found to be practicable.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 131 के अनुसार The divisional officer will count the cash in the hands of each cashier at least once a month, or in the case of out-stations, he or the assistant engineer will count it whenever he may visit them. He will on such occasions record a note in the cash book showing the date of examination and the amount (in words) found.

समान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

समान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार **33 का उप नियम (6)** In cases of loss to Government on account of culpability of Government servants, the loss should be borne by the Central Government Department or State Government concerned with the transaction. Similarly, if any recoveries are made from the erring Government officials in cash, the receipt will be credited to the Central Government Department or the State Government who sustained the loss.

(7) All cases involving loss of Government money arising fromerroneous or irregular issue of cheques or irregular accounting of receipts will be reported to the Controller-General of Accounts alongwith the circumstances leading to the loss, so that he can take steps to remedy defects in rules or procedures, if any, connected therewith. **Rule 34. Loss of Government property due to fire, theft, fraud :** Departmental Officers shall, in addition to taking action as prescribed in **Rule 33,** follow the provisions indicated below in cases involving material loss or destruction of Government property as a result of fire, theft, fraud, etc. - All losses above the value of Rupees ten thousand due to suspected fire, theft, fraud, etc., shall be invariably reported to the Police for investigation as early as possible. Once the matter is reported to the Police Authorities, all concerned should assist the Police in their investigation. A formal investigation report should be obtained from the Police Authorities in all cases, which are referred to them.

Rule 37. Responsibility for Losses : An officer shall be held personally responsible for any loss sustained by the Government through fraud or negligence on his part. He will also be held personally responsible for any loss arising from fraud or negligence of any other officer to the extent to which it may be shown that he contributed to the loss by his own action or negligence.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड सितारगंज,जिला उधमसिंहनगर के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे Treasury reconcilation sheet माह 12/2014 से माह 3/2018 तक की जांच मे पाया गया कि कुल 32 चैको द्वारा रु **68.70** लाख राशि आहरित की गयी थी (विवरण संलग्न) जिसको रोकड़ बही, मासिक लेखा, चेक निर्गत पंजिका, बाऊचर, माप पुस्तिका मे भी दर्ज नहीं पाया गया था तथा कुल आहरित राशि रु 68.70 लाख डिपॉजिट मद की राशि थी। उपरोक्त इस राशि के भुगतान के सापेक्ष कार्यालय मे कोई भी सामग्री की आपूर्ति भी प्राप्त नहीं की गयी थी एवं इस राशि के सापेक्ष कार्यालय को किसी भी प्रकार की सेवा/निर्माण कार्य की भी प्राप्ति नहीं हुई थी। बिना किसी प्रयोजन के रु **68.70** लाख 6 व्यक्तियों को 32 बार भुगतान किया गया था (Annexure संलग्नक) उपरोक्त रु 68,70,538.00 धनराशि के भुगतान को लेखापरीक्षा दल द्वारा कोषागार एवं बैंक से भी सत्यापित कर लिया गया है। कोषागार सत्यापन के क्रम मे यह पाया गया कि इस राशि मे रु 23,58000.00 का फर्जी चालान जमा दर्शा कर डिपॉजिट मद (डी सी एल) की राशि बढा दी गयी थी।

आगे लेखा परीक्षा मे पाया गया कि - कोषागार प्रपत्र संख्या 385 शासकीय प्राप्ति रशीद का खंड की रोकड़ बही के मिलान के क्रम मे पाया गया कि निविदा बिक्री से प्राप्त राशि को खंड की रोकड़बही मे दर्ज नहीं किया गया था व कोषागार मे भी जमा नहीं किया गया था। रु 90,816 धनराशि (विवरण संलग्न) निविदा बिक्री से संबन्धित उपखंडो से नगद के रूप मे प्राप्त हुई थी, इस राशि को भी कोषागार में जमा नहीं किया गया था । अत: कुल संदिग्ध आहरण की राशि रु 68,70 538 + 90,816 = 6961354.00 है । आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- रु 69,61,354.00 के संदिग्ध आहरण के सापेक्ष रु 7,88,820 की धनराशि तत्कालीन कैशियर के द्वारा राजकोष मे जमा भी कर दी गयी थी।

इस सम्बंध मे कोई भी एफ आई आर दर्ज नहीं की गयी थी केवल रु 7,88,820.00 धनराशि के संदिग्ध आहरण एवं इसी राशि को तत्कालीन कैशियर द्वारा जमा करने की सूचना ही पुलिस को दी गयी थी रु 69.61 लाख संदिग्ध आहरण की सूचना पुलिस को नहीं दी गयी थी । इस सम्बन्ध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि दिनांक 12.09.2018 को वरिष्ठ पुलिस को सूचित किया गया एवं 14.9.2018 को कोतवाली सितारगंज को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया था, विभागीय जांच कमेटी द्वारा जांच की जा रही है रिपोर्ट के पश्चात ही साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे तत्कालीन कैशियर द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी धन के संदिग्ध आहरण का मामला प्रतीत होता है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि अकेला कैशियर सरकारी धन को आहरित नहीं कर सकता वह ई चेक जनरेट करता है, खंडीय लेखाकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है एव अधिशासी अभियंता द्वारा उसे अंतिम रूप से अनुमोदित (Approved) किया जाता है इसके पश्चात ही भुगतान किया जाता है इस कार्य हेतु तीनों की अलग-अलग आई डी होती है एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की

आई डी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है । एवं विभागीय जांच केवल रु 7,88,820 के संदिग्ध आहरण से संबन्धित थी तथा पुलिस को भी इतनी ही राशि के संदिग्ध आहरण एवं उसकी वसूली कर ली गयी, की सूचना दी गयी थी । इस कारण लेखापरीक्षा तिथि तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी । इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 व सामान्य वित्तीय नियम 2005 नियमो के अनुसार खंडीय अधिकारी एवं खंडीय लेखाकार की भूमिका भी संदेहास्पद है एवं इस प्रकरण मे कोषागार सितारगंज की भूमिका भी संदिग्ध है क्योकि फर्जी चालान के द्वारा रु 23,58000.00 की डी सी एल जारी कर दी गयी थी।

अत: रु 69.61 लाख संदेहास्पद आहरण का प्रकरण उच्च अधिकारियों एव शासन के संज्ञान मे लाया जाता है ताकि यथाशीघ्र अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भाग दो (अ)

प्रस्तर सं0 2 रू0 1.19 करोड का क्रय सामग्री प्राप्त किये बिना ही फर्म को भुगतान किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त

नियम 3(1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। (2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी। (3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। (10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। (11) एकरूपता बनाए रखने तथा कार्य की पुनरावृत्ति और सम्भावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए। (12) विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संविदा, निविदा के वैध समय के अन्दर ही दी जाए और निविदा की वैध तिथि बढाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाए। (13) वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः– (एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले, (दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए, (तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और (चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

अध्याय–2 सामग्री

सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय

नियम 8. जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेषन/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती हैः–

क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय

नियम 9. प्रत्येक अवसर पर रु0 15000 (रू0 पन्द्रह हजार) से अधिक तथा रु0 1,00,000 (रू0 एक लाख) तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक

रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रषिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा।

दर संविदा के अधीन सामग्री का सीधे क्रय

नियम 10(1) ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर संविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हों।

(2) दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार–चढाव होता रहता है या जहाँ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर सविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाजार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक (डी.जी.एस.एंड.डी.) द्वारा की गई दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा

नियम 13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

नियम 23. यदि संविदा में आपूर्ति की शर्तों में यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने परिसर से सामग्री रवाना (डिस्पैच) करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे आंशिक भुगतान किया जायेगा, तो सम्बन्धित दस्तावेज के आधार पर अपूर्तिकर्ता/फर्म को अग्रिम आंशिक भुगतान किया जा सकेगा।

नियम 24(1) सभी शासकीय क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पादित किये जायं, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा करने से भावी निविदादाता पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत कर सकेंगे।

कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस0पी0ए0 के अन्तर्गत शासन के पत्रांक संख्या 2730/।।–2013–04(05/201 दिनांक 4.3.2013 को जनपद उधमसिह नगर के ब्लॉक स्वीकृत 7 प्राक्कलनों के लिये कुल रू0 1917.55 लाख की धनराशि का आवंटन कर विभिन्न शर्तो के अधीन वित्तीय एंव

प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य को कराने के लिये अधीक्षण अभियन्ता रूद्रपुर द्वारा मैसर्स मेघा इन्जीनियरिंग इन्फास्टाक्चर लि0 हैदराबाद के नाम अनु0 सं0 01/एस0ई0/2012–13 रू0 18,61,49,683.00 गठित किया गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.03.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.01.2014 थी,जिसमें संविदाकार फर्म को ही लेबर एवं सामग्री की व्यवस्था स्वंय ही करनी थी, विभाग को केवल कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता **सुनिश्चित** करने के उपरान्त ही अनुबन्धित फर्म को कार्य का माप करके भुगतान करना था। जैसा कि अनुबन्ध की शर्तो में उल्लिखित था। फिर भी अधिशासी अभियन्ता सितारगंज द्वारा उत्तराखण्ड प्रिकोयरमेंन्ट नियमावली 2008 में उल्लिखित नियमों का स्पष्ट उल्लघंन करके जी0आई0वायर का क्रय केवल कुटेशन प्राप्त फर्म मैसर्स वर्द्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर की अधिक फुटकर दर रू0 64,800.00 को अनुमोदित करकें माह मार्च 2014 के अंतिम सप्ताह में इस आशय से किया गया था कि आवंटित धनराशि का व्यय ना होने की दशा में, शासन को आवंटित धनराशि का समर्पण नही करना पडे इससे बचने के लिये (जी0आई0वायर) सामग्री का क्रय क्रयादेश (सं0 985 26.3.2014 154 एम0टी0 रू0 99,94600.00 एवं सं0 1003 29.3.2014 30 एम0टी0 रू0 19,47,000.00 कुल 184 एम0टी0) कुल रू0 1,19,41,600.00 लाख का जारी करके होना दर्शाया गया था। वर्ष 2013–14 में क्रय सामग्री की थोक दरें इण्डिया मार्ट पर दर्शायी गयी फर्म की दी गयी दरों के अनुसार रू0 44000.00 **मीट्रिक** टन (माह मार्च 2014) में थी। अर्थात अन्तर मूल्य 64800–44000= रू0 20800.00 प्रति **मीट्रिक** टन अधिक मूल्य पर सामग्री का क्रय कुटेशन प्राप्त फर्म से किया गया था। **तुलनतमक विवरण में दर्शायी गयी तीनों फ़र्मों की कुटेशन एवं दरें (तीनों कुटेशन फर्म मैसर्स 1. सुमन इंजीनियरिंग कम्पनी, किच्छा रोड रुद्रपुर 2. श्री कृष्णा जनेटर कम्पनी मंडी रोड रुद्रपुर एवं वर्धमान मशीनरी कोरपोरेशन किच्छा रोड रुद्रपुर एक ही व्यक्ति की है, अर्थात 3. फर्म सुमन बंसल (पत्नी) के नाम पर पंजीकृत है एवं एक फर्म स्वंय श्री शालीग्राम बंसल के नाम पर पंजीकृत है।)**

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने लिखित उत्तर में बताया गया कि खण्ड कार्यालय में केवल **फर्म से** सामग्री जी0आई0वायर के क्रय बीजक ही प्राप्त हुए थे । सामग्री प्राप्ति के चालान **धर्मकांटे की तौल रसीदे** एवं **ट्रांस**पोर्टर की बिल्टी नही प्राप्त हुई थी, इसलिये अभिलेखों में उसका अंकन नही किया गया था। भविष्य में यह महत्वपूर्ण अभिलेख अवश्य प्राप्त किये जायेगे।

खण्ड कार्यालय के द्वारा आडिट आपत्ति को अपने लिखित दिये गये आडिट मेमों ज्ञाप संख्या 34 पुस्तक संख्या 762 में स्वंय ही स्वीकार करके बताया गया कि क्रय सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख जैसे वाहन सख्या भॉडे का बिल, सामग्री की धर्मकॉटे की तौल रसीदें, फर्म द्वारा सामग्री प्रेषण के चालान, सामग्री की कुल मात्रा अर्थात कुल कितने बडल सामग्री के प्राप्त हुये थें, एक बडल का बजन क्या था, सामग्री का स्पेसिफीकेशन क्रयादेशा के अनुसार अन्य अतिमहत्वपूर्ण अभिलेख सम्प्रेक्षा अवधि तक कार्यालय में उपलब्ध नही थे, और ना ही प्राप्त अति महत्वपूर्ण अभिलेखों की पृविष्टियॉ माप पुस्तिका सख्या 18 एवं 19 एल तथा अवर अभियन्ता के 1 एस एवं सहायक अभियन्ता के 2एस में भी नही थी। उपरोक्त अभिलेखों का खण्ड कार्यालय में ना होने से स्पष्ट होता है कि केवल खण्ड कार्यालय द्वारा सामग्री के बिल ही प्राप्त किये गये थे। क्योकि कार्यालय के पत्रांक संख्या 312 दिनांक 25 मार्च 2014 में आवंटित धनराशि रू0 280.00 लाख का व्यय ना हो पाने से बचाने के उद्वेश्य से रू0 119.00 लाख के जी0आई0 वायर का क्रय एवं रू0 161.00

लाख समर्पण करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय रूद्रपुर को अवगत कराया गया था। वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स, उत्तराखण्ड प्रिकोयरमेंन्ट नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान ही उल्लिखित नही है, कि शासन के द्वारा स्वीकृत कार्य के लिये आवंटित धनराशि का व्यय ना हो पाने की दशा में, धनराशि का समर्पण शासन को ना करके बिना आवश्यकता के ही सामग्री का क्रय अधिक दरों को अनुमोदित करके किया जा सकता है। परन्तु अधिशासी अभियन्ता द्वारा नियम 3 के उप नियम 13(4) का **उल्लंघन** करके ही सामग्री का क्रय कुटेशनो से प्राप्त दरों को अनुमोदित करके किया गया था। जैसाकि विभाग के उत्तर एवं अभिलेखों से विदित होता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो अ

प्रस्तर सं0 3 रू0 1.43 करोड अधिक का भुगतान कुटेशन प्राप्त फर्म की अधिक दरें अनुमादित करके किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्वान्त नियम 3(1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। (2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी। (3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। 13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये।

(2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

(3) निविदा पृच्छा से सम्बन्धित सभी दस्तावेज, जिनमें निविदा की शर्तें और निबन्धन, अनुबन्ध का प्ररूप, सामग्री का विवरण और गुणवत्ता आदि होगी, पहले से ही तैयार किए जायें। दस्तावेज विभाग/संगठन की वेबसाइट पर रखे जायें और सम्भावित निविदादाताओं द्वारा वैबसाइट से उतारकर (डाउनलोड) दस्तावेजों का उपयोग किया जाए। यदि वैबसाइट में रखे गए दस्तावेजों का कोई मूल्य हो तो निविदादाओं के लिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि निविदाएं प्रस्तुत करते समय उस मूल्य का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या सरकार की ई–बैंकिंग सुविधाओं, यदि कोई है, द्वारा किया जाए। (4) यदि विभाग को प्रतीत हो कि अपेक्षित गुणवत्ता, विशिष्टिताओं की सामग्री देश में उपलब्ध नहीं हो सकेगी और विदेश से उपयुक्त प्रतियोगी प्रस्तावों पर विचार करना आवश्यक है तो विभाग, निविदा सूचना की प्रतियां विदेश में भारतीय दूतावासों और भारत में विदेशी दूतावासों को भेज सकता है। दूतावासों का चयन इन देशों में अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता की सम्भावना पर निर्भर करेगा। (5) सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों के बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीन सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए। यदि विभाग विदेशों से भी निविदाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है तो देशी और विदेशी दोनों निविदाओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह होगी। कभी कभी वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में मात्र आवंटित धनराशि के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए भारी मात्रा में भण्डार क्रय किया जाता है। यह प्रकिया भी अत्यन्त आपत्तिजनक होती है। इस प्रकार शासकीय धन क दुरूप्रयोग तो होता ही है,साथ ही समयाभाव के कारण भण्डार के गुणात्मक एवं मूल्य संबंधी तुलनात्मक अध्ययन सही प्रकार से नही हो पाता है। एवं कई बार इस प्रक्रिया में भयंकर भूले हो जाने की सम्भावना बनी रहती है। बजट मैनुअल के प्रस्तर 270 में भी वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में भंडार क्रय को अनियमित बताते हुए अपेक्षा की

गयी है कि यथासम्भव सभी आवश्यक प्रांसगिक व्यय माह फरवरी के अन्त तक कर लिये जाने चाहिये। यही व्यवस्था पैरा 162 वित्तीय नियम संग्रह,खण्ड 5 भाग 1 में भी है। एम0जी0ओ0 पैरा 739 के अनुसार रू0 5000.00 से अधिक के भुगतानों पर 2 प्रतिशत आयकर की भुगतान के समय

कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी0आई0वायर का क्रय कुटेशन प्राप्त अधिक दरों को वर्ष 2013–14 रू0 64,900.00 एम0टी0 एवं 2014–15 रू0 64,700.00 में अनुमोदित करके मैसर्स वर्द्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर से विभिन्न क्रयादेशों के माध्यम से वर्ष 2013–14 में रू0 1,41,97,800.00 एवं वर्ष 2014–15 में रू0 2,60,74,100.00 एवं वर्ष 2015–16 में रू0 25,88,000.00 कुल रू0 4,28,59,900.00 किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है।

क्रयादेश सं0	दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा	धनराशि
6058	24.12.2014	वर्द्धमान मशीनरी कारपोरेशन	70 एम0टी0	45,29000.00
242	17.1.2015	तदैव	70 एम0टी0	45,29000.00
573	13.2.2015	तदैव	73 एम0टी0	47,23100.00
574	16.2.2015	तदैव	70 एम0टी0	45,29000.00
704	20.2.2015	तदैव	60 एम0 टी0	38,82000.00
5362	14.12.2015	तदैव	40 एम0टी0	25,88000.00
673	19.2.2015	तदैव	60 एम0टी0	38,82000.00
985	26.3.2014	तदैव	154 एम0टी0	99,94600.00
1003	29.3.2014	तदैव	30 एम0टी0	19,47,000.00
104	1.3.2014	तदैव	7.70 एम0टी0	4,99,730.00
775	4.3.2014	तदैव	7.70 एम0टी0	4,99,730.00
777	5.3.2014	तदैव	7.70 एम0टी0	4,99,730.00
724	3.3.2014	तदैव	7.70 एम0टी0	4,99,730.00
397	29.1.2014	तदैव	4.0 एम0टी0	2,57,280.00
			कुल योग 661.80एम0टी0	4,28,59,900.00

जबकि Steelmint.com में उल्लिखित फमों एवं दरों का चार्ट द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष (मार्च 2014) में (4 mm g I wire hot dip 35gsm/msg 34500 + 11500

Freight = 46000.00 For and 2014-15 30200+ 11500= 41,700.00 year 2018-19 40400+ gst 5% 2020+ Freight 11500+53,930.00 per MT) Firm Name A S Trading Company F14,Shastri Nagar Delhi 110052 Gst 07AECPJ8810K1ZF. अर्थात 1 एम0टी0 वायर की खरीद करने पर वर्ष 2013–14 में रू0 18,900.00 एवं वर्ष 2014–15 में रू0 23,000.00 का अधिक भुगतान कुटेशन प्राप्त फर्म को किया गया था। वर्ष 2013–14 में 218.8 एम0टी0 कुटेशन दर 64,900.00 1,42,00120.00 का क्रय एवं वर्ष 2014–15 में 403.00 एम0टी0 दर 64,700.00 2,60,74,100.00 एवं वर्ष 2015–16 64,700.00 की दर से 40 एम0टी0 का क्रय किया गया था। (अर्थात अन्तर मूल्य वर्ष 2013–14 रू0 18,900 कम दर से 218.8 एम0टी0 रू0 41,35,320.00 वर्ष 2014–15 में रू0 23,000.00 की कम दर से रू0 92,69,000.00 एवं वर्ष 2015–16 में रू0 23,000.00 की कम दर सेरू0 9,20,000.00 कुल अन्तर मूल्य 1,43,24,000.00 का लाभ निविदा आमंत्रित कर शासन को प्राप्त होता) जोकि नही हुआ था, ऐसा करने से जहॉ एक ओर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित सामग्री क्रय के नियमों ,बजट मैनुअल के प्रस्तर 270 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड पॉच भाग एक के पैरा 162 का स्पष्ट **उल्लंघन** किया गया था, वही फर्म मैसर्स वर्धमान मशीनरी कारपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर को अनैतिक लाभ भी पहुचाया गया था। क्योकि कार्यालय के अभिलेखों में केवल सामग्री की खरीद के बिल पाये गये थें, जिस पर माल की कुल मात्रा एवं कुल धनराशि को सत्यापित कर भुगतान किया गया था। जबकि रूद्रपुर से सितारगंज क्रय सामग्री का कुल कितनी प्रेषण फर्म द्वारा किस वाहन संख्या से अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सिचाई खण्ड सितारगंज को किया गया था, उससे सम्बन्धित अभिलेख जैसे बिलों में सत्यापित सामग्री की तौल रसीदें,वाहन भाडे की बिल्टी, कुल कितने नग/बडल तार के कार्यालय में प्राप्त हुऐ उसका अकंन एवं भुगतान बिलों का अंकन माप पुस्तिका संख्या 18 एल में भी नही था। माप पुस्तिका में अवर अभियन्ता द्वारा केवल जारी आपूर्ति आदेश संख्या/दिनांक एवं उसमें उल्लिखित मात्रा का ही सत्यापन किया गया था। नियमानुसार माप पुस्तिका में माल की प्रविष्टियॉ जैसे कुल कितनी बडल जी0आई0वायर के थे, उनका क्या स्पेशिफिकेशन नम्बर था, एक बडल का कुल बजन क्या था, कितनी मीटर वायर एक बडल में था, किस वाहन संख्या से माल प्राप्त हुआ। यदि कार्यालय के अवर अभियन्ता द्वारा प्राप्त जी0आई0वायर का धर्मकॉटे से बजन कराया गया हो तो उस रसीद संख्या का विवरण माप पुस्तिका में सत्यापित कर 1–एस में भी दर्ज दर्ज करना होता है। सहायक अभियन्ता द्वारा भी माप पुस्तिका में केवल जारी आपूर्ति आदेशो की संख्या/दिनांक एवं मॉग की गयी मात्रा का सत्यापन करा गया था।

इस संबंध में पुछने पर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सितारगंज द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जारी क्रयादेश एवं खरीद के बिल एवं माप पुस्तिका एवं एस–1,2 की छायाप्रतियॉ उपलब्ध करा दी गयी है। अन्य मॉगे गये अभिलेख कार्यालय के रिकार्ड एवं अभिलेखों में उपलब्ध नही है। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों से ज्ञात कर बताया जायेगा।

विभागीय उत्तर संतोषजनक नही है, क्योकि यदि रू0 1,00,000.00 से अधिक मूल्य की लागत सामग्री का क्रय किया जाना आवश्यक था, तो नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर दर अनुबन्ध गठित करके प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ प्राप्त करके ही क्रय किया जा सकता था। जबकि विभाग में सभी निर्माण कार्यो के अनुबन्ध लेबर एवं मय मैटेरियल के गठित किये गये थे तो माह मार्च के अन्तिम दिवस

में अधिक मूल्य की सामग्री क्रय करने का औचित्य ही नही था। ऐसा करने से फर्म को सामग्री की अधिक दरों का रू0 1,43,24,000 भुगतान किया गया था ।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं0 1 रू0 33.75 लाभ जी.एस.टी. कर की धनराशि संविदाकरों को अधिक भुगतान किया गया।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of ……

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight Insurance Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure) Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि का भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत देने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी

किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड सितारगंज की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 11/2017 से माह 9/2018 तक संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान एवं अतिरिक्त रू0 33,75,435.00 जी0एस0टी0 कर की धनराशि का भुगतान किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें,जबकि प्रावधानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था,यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की मॉग की गई होती तो ही, अन्यथा नही। संविदाकार के द्वारा ना तो अलग से शिडुयल बी में कर की अलग से मॉग की गयी थी, और ना ही उसनें द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर मॉग की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं अलग से 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

इस संमबन्ध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में किये जाने वाले भुगतान संविदाकारों से जी0एस0टी0 की टैक्स इन्वाइस प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य की धनराशि एवं अतिरिक्त 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। तथा पूर्व में किये गये भुगतानों एवं अतिरिक्त जी0एस0टी0 कर की धनराशि से समबन्धित टैक्स इनवाईस प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जायेगा, नही तो भू राजस्व की भॉति जी0एस0टी0 भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही की जायेगा।

विभाग के द्वारा आडिट आपत्ति को स्वीकार कर अतिरिक्त भुगतान की गयी जी0एस0टी0 धनराशि की वसूली करने हेतु भी कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया है ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं0 2 रू0 1917.55 लाख एस0पी0ए0 की धनराशि चयनित अनुबन्ध गठित करके अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त

नियम 3(1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। (2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी। (3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। (4) अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिएं जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भण्डारण लागत (इन्वेन्टरी कैरिईगं कॉस्ट) में अनावश्यक वृद्धि न हो। (5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है। (6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है। (7) सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होगा कि प्रस्तावित दरें युक्तियुक्त हैं और गुणवत्ता के अनुरूप हैं। (8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए। (9) परक्रामण(निगोषिएशन) से बचा जाए और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले (एल–1) से ही समझौते की वार्ता की जा सकेगी तथा ऐसे परक्रामण के कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाए। (10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। (11) एकरूपता बनाए रखने तथा कार्य की पुनरावृत्ति और सम्भावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए। (12) विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संविदा, निविदा के वैध समय के अन्दर ही दी जाए और निविदा की वैध तिथि बढाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाए। (13) वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः– (एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे

कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले, (दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए, (तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और (चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा

नियम 13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री एवं निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्षिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता बनाये रखना तथा स्वेच्छाचारिता दूर करना

नियम 24(1) सभी शासकीय क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पादित किये जायं, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा करने से भावी निविदादाता पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत कर सकेंगे।

कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस0पी0ए0 के अन्तर्गत शासन के पत्रांक संख्या 2730/।।–2013–04(05/201 दिनांक 4.3.2013 को जनपद उधमसिह नगर के ब्लॉक स्वीकृत 7 प्राक्कलनों के लिये कुल रू0 1917.55 लाख की धनराशि का आवंटन कर विभिन्न शर्तो के अधीन वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य को कराने के लिये अधीक्षण अभियन्ता रूद्रपुर द्वारा मैसर्स मेघा इन्जीनियरिंग इन्फ्रास्टाक्चर लि0 हैदराबाद के नाम अनु0 सं0 01/एस0ई0/2012–13 रू0 18,61,49,683.00 गठित किया गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.03.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.01.2014 थी,जिसमें संविदाकार फर्म को ही लेबर एवं सामग्री की व्यवस्था स्वंय ही करनी थी, विभाग को केवल कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुबन्धित फर्म को कार्य का माप करके भुगतान करना था। जैसाकि अनुबन्ध की शर्तो में प्रावधान था। अनुबन्धित फर्म के द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा था। फिर भी निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही हो सका जिसके लिये अनुबन्धित फर्म के द्वारा अपनी परेशानी व्यक्त करते हुऐ अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सितारगंज के माध्यम से अपने प्रेषित किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.03.2014 में समय अवधि दिनांक 22.01.2014 से दिनांक 31.12. 2014 तक इस आशय से की गयी थी माह जून 2013 में भारी वर्षा, बाढ एवं अतिवृष्टि से साईट पर रखी सामग्री बह गयी थी, जिसमें भारी मात्रा में बोल्डर इत्यादि बह गये थे। नवम्बर 2013 तक साइटों में पानी का लेवल अधिक होने के कारण कार्य शुरू नही हो पाया । अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सितारगंज की संस्तुति के आधार पर उक्त फर्म को अधीक्षण अभियन्ता सिचाई कार्य

मण्डल उधमसिह द्वारा दिनांक 22.01.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक की समयवृद्वि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की गयी थीं,कि यदि फर्म द्वारा समयवृद्वि अवधि में कार्य पूर्ण नही किया जाता है,तो उनके विरूद्व उनके प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.03.2014 के अंतिम पैरा में दी गयी सहमति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सितारगंज द्वारा अपने पत्रांक संख्या 312 दिनांक 25 मार्च 2014 से अधीक्षण अभियन्ता सिचाई कार्य मण्डल उधमसिहॅ नगर को अवगत कराया गया कि संविदाकार द्वारा कार्यो को पुन अरेन्ज किया जा रहा है, फिर भी इस मद में आवंटित धनराशि में से पूर्व में समर्पित धनराशि रू0 1200.00 लाख के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू0 280.00 लाख का कार्य भी मार्च 2014 तक होना सम्भव नही है। इस स्थिति में उचित होगा कि इस धनराशि में से रू0 100.00 लाख की सामग्री (जी0आई0वायर–4 एम0एम0)खरीद लिया जाए। यदि भविष्य में संविदाकार द्वारा कार्यो में उचित प्रगति नही लायी जाती है, तो Debatable Agencies के माध्यम से कार्य कराये जाने होगे जिसके लिए जी0आई0वायर की आवश्यकता होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि कि रू0 100.00 लाख जी0आई0 वायर क्रय करने हेतु आवश्यक आपूर्ति आदेश करने की कृपा करें तथा शेष धनराशि रू0 180.00 लाख का समपर्ण करने की कृपा करे। तथा पत्रांक संख्या 344 दिनांक 29/3/2014 के द्वारा 30 एम0टी0 जी0आई0वायर क्रय करने की और आवश्यकता बताते हुऐ दिनांक 29.3.2014 को आपूर्ति आदेशा निर्गत करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल उधमसिह नगर को कहा गया था।

अधिशासी अभियन्ता सितारगंज द्वारा उत्तराखण्ड प्रिकोयरमेंन्ट नियमावली 2008 में उल्लिखित नियमों का स्पष्ट उल्लघंन करके पूर्व में कुटेशन प्राप्त अधिक फुटकर दरों रू0 64800.00 प्रति **मीट्रिक** टन फर्म मैसर्स **वर्धमान** मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्वपुर से (जी0आई0वायर) सामग्री का क्रय क्रयादेश (**संख्या 985** 26.3.2014 154 एम0टी0 रू0 99,94600.00 एवं सं0 1003 29.3.2014 30 एम0टी0 रू0 19,47,000.00 कुल 184 एम0टी0) कुल रू0 1,19,41,600.00 लाख का जारी करके दिनांक 29/3/2014 को भुगतान होना दर्शाया गया था। जबकि वर्ष 2013–14 में क्रय सामग्री की थोक दरें इण्डिया मार्ट पर दर्शायी गयी फर्म की दी गयी दरों के अनुसार रू0 44000.00 **मीट्रिक** टन (माह मार्च 2014) में थी। अर्थात अन्तर मूल्य 64800–44000= रू0 20800.00 प्रति **मीट्रिक** टन अधिक मूल्य पर सामग्री का क्रय कुटेशन प्राप्त फर्म से किया गया था। इस संबंध में क्रय सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख जैसे वाहन सख्या भॉडे का बिल, सामग्री की धर्मकॉटे की तौल रसीदें, फर्म द्वारा सामग्री प्रेषण के चालान, सामग्री की कुल मात्रा अर्थात कुल कितने **बंडल** सामग्री के प्राप्त हुये थें, एक **बंडल** का बजन क्या था, सामग्री का स्पेसिफीकेशन क्रयादेशा के अनुसार अन्य अतिमहत्वपूर्ण अभिलेख सम्प्रेक्षा अवधि तक कार्यालय में उपलब्ध नही थे, और ना ही बीजकों में **दर्शा**यी गयी सामग्री एवं उसकी मात्रा का अभिलेखों की पृविष्टियॉ माप पुस्तिका सख्या 18 एवं 19 एल तथा अवर अभियन्ता के 1 एस एवं सहायक अभियन्ता के 2एस में भी नही थी।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने लिखित उत्तर में बताया गया कि खण्ड कार्यालय में केवल सामग्री जी0आई0वायर के क्रय बीजक ही प्राप्त हुए थे । सामग्री प्राप्ति के

चालान एवं टासपोर्टर की बिल्टी नही प्राप्त हुई थी, इसलिये अभिलेखों में उसका अंकन नही किया गया था। भविष्य में यह महत्वपूर्ण अभिलेख अवश्य प्राप्त किये जायेगे।

खण्ड कार्यालय के द्वारा आडिट आपत्ति को अपने लिखित दिये गये आडिट मेमों ज्ञाप संख्या 34 पुस्तक संख्या 762 में स्वंय ही स्वीकार करके बताया गया कि क्रय सामग्री से सम्बन्धित अभिलेख जैसे वाहन सख्या भॉडे का बिल, सामग्री की धर्मकॉटे की तौल रसीदें, फर्म द्वारा सामग्री प्रेषण के चालान, सामग्री की कुल मात्रा अर्थात कुल कितने **बंडल** सामग्री के प्राप्त हुये थें, एक **बंडल** का बजन क्या था, सामग्री का स्पेसिफीकेशन क्रयादेशा के अनुसार अन्य अतिमहत्वपूर्ण अभिलेख सम्प्रेक्षा अवधि तक कार्यालय में उपलब्ध नही थे, और ना ही प्राप्त अति महत्वपूर्ण अभिलेखों की पृविष्टियॉ माप पुस्तिका सख्या 18 एवं 19 एल तथा अवर अभियन्ता के 1 एस एवं सहायक अभियन्ता के 2एस में भी नही थी। उपरोक्त अभिलेखों का खण्ड कार्यालय में ना होने से स्पष्ट होता है कि केवल खण्ड कार्यालय द्वारा सामग्री के बिल ही प्राप्त किये गये थे। क्योकि मार्च 2014 के अन्तिम सप्ताह रू0 1,19,41,600.00 की सामग्री का क्रय करने की आवश्यकता ही नही थी। यही नही खण्ड कार्यालय की मंशा पहले से ही स्पष्ट थी, इसलियें दिनांक 31.12.2014 तक स्वीकृत समय अवधि से पूर्व ही गठित अनुबन्ध का **अंतिमिकरण** कर दिनांक 2.12.2014 में करके दिनांक 2.12.2014 से दिनांक 23/2/2015 तक 38 चयनित अनुबन्ध उन संविदाकारों के नाम गठित कर दिये गये थे, जिनके पास ना तो अपनी टी0एण्ड पी0 थी, और ना ही गठित चयनित **बॉन्ड** की प्रतिभूति धनराशि की नकद/ एफ0डी0आर0 जमा करने की हैसियत थी, उन संविदाकारों के पास अपना कोई भी टैकनिकल स्टाफ भी नही था, सभी **संविदाकार** डी श्रेणी के थे। जबकि पूर्व के गठित प्रथम अनुबन्ध में कार्य की महत्वत्ता को ध्यान में रखते हुऐ ही शर्ते निर्धारित की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि संविदाकार को राज्य या **केन्द्र** के किसी विभाग में एए श्रेणी का होना, विगत पॉच वर्षो में कम से कम एक कार्य जैसे बाढ निर्माण जिसकी लागत रू0 9.35 करोड या उससे अधिक के कार्य करने का सन्तोष जनक प्रमाण–पत्र तथा फर्म की विगत पॉच वर्षो में किसी एक वर्ष में रू0 11.25 करोड या उससे अधिक के र्टनओवर की चार्टड एकाउन्टेन्ट के द्वारा सत्यापित balance sheet, ठेकेदार को आई एस0ओ0 प्रमाण–पत्र जो कि EPC (Engineering prodrement Construction) से सम्बन्धित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य थां। साथ ही साथ जी0आई0वायर क्रेट के निर्माण से सम्बन्धित pre arrangement का प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य था। यह सभी अति महत्वूपर्ण अनुभव रखने वाले **संविदाकारों** में से जिसकी दी गयी कार्य दरें विभाग दरों से कम थी,उसको ही विभाग अनुबन्ध करने के योग्य मानकर अनुबन्ध गठित किया गया था। खण्ड कार्यालय के द्वारा राज्य स्तर तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा दिये गये **निर्देशों** की अवहेलना करके ही कार्य कराये गये थे, जैसे कार्यस्थल एवं लागत को दृष्टिगत रखते हुये मशीन से तैयार किये जाने वाले वायर क्रेटस को भी यथासंभव उपयोग में लाया जाये। चूकि 4 एम0एम0 वायर को हाथ से मोडने एवं मशीन से मोडने पर बनायी गयी जाली के साइज में अन्तर आना स्वभाविक हैं। पूर्व में गठित अनुबन्ध के अनुसार सभी कार्य अतिमहत्वपूर्ण थे, इसलिये इनकों

नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर ही पूर्ण कराये जाने थे, ऐसा करने से जहॉ एक ओर नियमों का पालन **सुनिश्चित** होता वही दूसरी ओर उच्चकोटि के **संविदाकारों** से प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ भी शासन को प्राप्त हो जाता जिससे शासन को वंचित रहना पडा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 3 रू0 429.00 लाख की लागत सामग्री का कुटेशन प्राप्त करके क्रय करना तथा अनुमोदित अधिक दरें होने के कारण आपूर्तिकर्ता फर्म को रू0 1.41 करोड़ जी0आई0वायर का अधिक भुगतान भी किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त

नियम 3(1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। (2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी। (3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। (4) अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिएं जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भण्डारण लागत (इन्वेन्टरी कैरिईगं कॉस्ट) में अनावश्यक वृद्धि न हो। (5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है। (6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है। (7) सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होगा कि प्रस्तावित दरें युक्तियुक्त हैं और गुणवत्ता के अनुरूप हैं। (8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए। (9) परक्रामण(निगोषिएशन) से बचा जाए और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले (एल–1) से ही समझौते की वार्ता की जा सकेगी तथा ऐसे परक्रामण के कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाए। (10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। (11) एकरूपता बनाए रखने तथा कार्य की पुनरावृत्ति और सम्भावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए। (12) विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संविदा, निविदा के वैध समय के अन्दर ही दी जाए और निविदा की वैध तिथि बढाए जाने को

हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाए। (13) वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः– (एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले, (दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए, (तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और (चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

अध्याय–2 सामग्री

सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय

नियम 8. जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेषन/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती हैः–

क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय

नियम 9. प्रत्येक अवसर पर रु0 15000 (रू0 पन्द्रह हजार) से अधिक तथा रु0 1,00,000 (रू0 एक लाख) तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रषिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा।

दर संविदा के अधीन सामग्री का सीधे क्रय

नियम 10(1) ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर संविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हों।

(2) दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार–चढाव होता रहता है या जहाँ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर सविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाजार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक

(डी.जी.एस.एंड.डी.) द्वारा की गई दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा

नियम 13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

आपूर्तिकर्ता को ऑशिक भुगतान

नियम 23. यदि संविदा में आपूर्ति की शर्तों में यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने परिसर से सामग्री रवाना (डिस्पैच) करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे आंशिक भुगतान किया जायेगा, तो सम्बन्धित दस्तावेज के आधार पर अपूर्तिकर्ता/फर्म को अग्रिम आंषिक भुगतान किया जा सकेगा।

अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्षिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता बनाये रखना तथा स्वेच्छाचारिता दूर करना

नियम 24(1) सभी शासकीय क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पादित किये जायं, ताकि व्यय की जाने वाली धनराषि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा करने से भावी निविदादाता पूर्ण विष्वास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत कर सकेंगे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड सितारगंज की लेखापरीक्षा करने पर पाया गया कि खण्ड कार्यालय के द्वारा माह मार्च 2014 के अंतिम दिवसों में मैसर्स वर्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर से **ही तुलनात्मक विवरण में दर्शायी गयी तीनों फर्मों की कुटेशन पर दरें प्राप्त कर (तीनों कुटेशन फर्म मैसर्स 1. सुमन इंजीनियरिंग कम्पनी किच्छा रोड रूद्रपुर 2. श्रीकृष्णा जनरेटर कम्पनी मंडी रोड रूद्रपुर एवं वर्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर एक ही व्यक्ति है दो फर्म सुमन बंसल के नाम पर पंजीकृत है एवं एक फर्म श्री शालीग्राम बंसल के नाम पर पंजीकृत है।) वर्ष 2013-14 (रू. 64,800.00 मीट्रिक टन) एवं वर्ष 2014-15 (रू. 64,700.00 मीट्रिक टन) दरों को ही** तुलनात्मक विवरण में उल्लिखित कर अपनी संस्तुति के साथ अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय रूद्रपुर को अनुमोदित करने हेतु प्रेषित की गयी थी ।

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय द्वारा संस्तुति कर भेजी गयी जी0आई0वायर 4एम0एम0 की फुटकर दरों को (क्रय निर्माण सामग्री विनिर्माता **फ़र्मों** की थोक दरों से तुलना किये बिना ही) दिनांक 28/2/2014 को अनुमोदित कर आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स वर्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर को विभिन्न आपूर्ति आदेश संख्या/ दिनांको से अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय द्वारा केवल

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह 3/2014 में ही अनुमोदित दरों पर सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के(वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 1,41,97,800.00 वर्ष 2014–15 में रू0 2,60,74,100.00 एवं वर्ष 2015–16 में रू0 25,88,000.00 कुल रू0 4,28,59,900.00 किया गया था।) जबकि उपरोक्त वित्तीय वर्षो में क्रय की गयी निर्माण सामग्री की थोक दरें, कुटेशन प्राप्त कर अनुमोदित करायी गयी दरों से बहुत अधिक धनराशि वर्ष 2013–14 (3/2014) 34500 बेसिक मूल्य एवं 11,500.00 दिल्ली से सितारगंज का न्यूनतम बजन 25 मी0टन का भाडा अर्थात कुल रू0 फ0ओ0आर 46,000.00 अन्तर मूल्य 18,000.00 इसी तरह वर्ष 2014–15 मार्च/2015 में रू0 30200.00 एवं भाडा 11,500.00 कुल रू041,700.00 अन्तर मूल्य 23,000.00 तथा वर्तमान में भी 40400.00 एवं 11,500.00 कुल रू0 52,000 की ही दरें है जबकि श्री गुरू ऐजन्सी हल्द्वानी की कुटेशन दरें 73000.00 प्रति **मीट्रिक** टन अनुमोदित की गयी है। अन्तर मूल्य 21000.00 उल्लिखित सभी दरों को India Mart Steelmint.com webs-site पर जाकर देखा जा सकता है।(वर्ष 2013–14 अन्तर मूल्य 18,000.00x218.8=39,38,400 or, 2014–15 अन्तर मूल्य 23,000.00 X 443=1,01,89,000.00 gross excess payment Rs. 1,41,27,400.00 वर्ष 2018–19 में अन्तर मूल्य 73000–52000=21000.00) है।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर बताया गया कि उक्त सामग्री का क्रय कोटेशन प्राप्त कर किया गया है।

खण्ड कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता द्वारा जानबुझकर उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों जिनकों उत्तराखण्ड शासन के द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में मुद्रित करते हुऐ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से इनका पालन **सुनिश्चित** करने हेतु कहा गया था, **कि** अवहेलना इस आशय से की गयी थी, कि कुटेशन प्राप्त फर्म जोकि प्रान्त के अन्दर माल को खरीद कर अधिक मूल्य पर लाभ आर्जित कर लाभान्वित हो सके। तभी तो **फर्म के द्वारा केवल** क्रय सामग्री **के** बीजक ही खण्ड कार्यालय में **प्राप्त कराये जाने** थे, क्रय सामग्री एवं **उसकी** प्राप्ति के अभिलेख तो कार्यालय में उपलब्ध ही नही **कराये जाते थे इसलिए ही क्रय निर्माण सामग्री प्राप्ति का अंकन माप पुस्तिकाओं में भी नहीं किया गया था। क्रय बिलों में दर्शायी गयी** माप पुस्तिका में जारी आपूर्ति आदेशों संख्या/दिनांक एवं मात्रा का उल्लेख किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं0 4 रू0 9.73 लाख की आपूर्तिकर्ता फर्म के देयकों से आयकर की कटौती किये बिना ही भुगतान किया जाना।

आयकर अधिनियम की धारा 194 सी के अनुसार प्रत्येक अनुबन्धित भुगतान से नियमानुसार 2.27 प्रतिशत आयकर की कटौती फर्म एवं संविदाकारों के देयकों से उनके पक्ष में करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। एम0जी0 ओ0 के पैरा 739 के अनुसार रू0 5000.00 से अधिक के भुगतान पर यह कटौती की जानी अनिवार्य है।

कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता रूद्रपुर द्वारा जी0आई0वायर का क्रय करने के लिये विभिन्न जारी आपूर्ति आदेशों से अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड कार्यालय सितारगंज के द्वारा मैसर्स वर्द्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा उधमसिह नगर से उनके द्वारा जारी विभिन्न बिलो से 661.80 एम0टी0 सामग्री का प्राप्त होना दर्शाते हुऐ कुल रू0 4,28,59,000.00 लाख मूल्य की निर्माण सामग्री भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अनैतिक लाभ पहुचाने के उद्देश्य से नियमानुसार 2.27 प्रतिशत आयकर की कटौती रू0 9,72,899.00 किये बिना ही किया गया था। जोकि वित्तीय नियमों एवं आयकर अधिनियम की धारा 194 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लघन था।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर बताया गया कि आडिट आपत्ति स्वीकार योग्य है, यथाशीघ्र आयकर कटौती की धनराशि वसूली करने हेतु सम्बन्धित फर्म से पत्राचार किया जायेगा। अन्यथा की दशा में फर्म से भू–राजस्व की भॉति वसूली की कार्यवाही कर सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा। भविष्य में किये जाने वाले समस्त भुगतानों से आयकर की कटौती के उपरान्त ही फर्म को भुगतान किया जायेगा।

खण्ड कार्यालय की इस लापरवाही से जहॉ एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अनैतिक लाभ दिया गया था,वही दूसरी ओर शासन को रू0 9,72,899.00 की राजस्व क्षति भी करा दी गयी थी। आयकर की कटौती किये बिना ही फर्म को भुगतान करने तथा हो चुकी आयकर कटौती राजस्व की क्षति की वसूली करने हेतु सम्प्रेक्षा में आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं0 5 रू0 27.82 लाख की सामग्री बिना प्राप्त किये ही फर्म मैसर्स वर्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर को भुगतान करना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण के नियम 3(1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। (2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी। (3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। (4) अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिएं जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भण्डारण लागत (इन्वेन्टरी कैरिईगं कॉस्ट) में अनावश्यक वृद्धि न हो। (5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है। (6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है। (7) सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होगा कि प्रस्तावित दरें युक्तियुक्त हैं और गुणवत्ता के अनुरूप हैं। (8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए। (9) परक्रामण(निगोषिएशन) से बचा जाए और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले (एल–1) से ही समझौते की वार्ता की जा सकेगी तथा ऐसे परक्रामण के कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाए। (10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। (11) एकरूपता बनाए रखने तथा कार्य की पुनरावृत्ति और सम्भावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए। (12) विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संविदा, निविदा के वैध समय के अन्दर ही दी जाए और निविदा की वैध तिथि बढाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाए। (13) वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः– (एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले, (दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए, (तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और (चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी

शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

नियम 13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

नियम 23. यदि संविदा में आपूर्ति की शर्तों में यह उल्लेख किया गया हो कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने परिसर से सामग्री रवाना (डिस्पैच) करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे आंशिक भुगतान किया जायेगा, तो सम्बन्धित दस्तावेज के आधार पर अपूर्तिकर्ता/फर्म को अग्रिम आंषिक भुगतान किया जा सकेगा।

नियम 24(1) सभी शासकीय क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पादित किये जायं, ताकि व्यय की जाने वाली धनराषि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा करने से भावी निविदादाता पूर्ण विष्वास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत कर सकेंगे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड सितारगंज की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में मैसर्स वर्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर से कुटेशन प्राप्त कर उनकी रू0 64,700.00 जी0आई0वायर दरों को अनुमोदित करके विभिन्न क्रयादेशों के माध्यम से मात्रा कुल 403.00 मीट्रिक टन जिनका क्रय मूल्य रू0 2,60,74,100.00 फर्म को भुगतान किया गया था। इसं संबंध में खण्ड कार्यालय द्वारा फर्म को किये गये सामग्री के भुगतान का सत्यापन वाणिज्य कर विभाग रूद्रपुर से करने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता फर्म के द्वारा वाणिज्य कर विभाग में अपनी मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरणीयों एंव संलग्न क्रय/ विक्रय सूचीयों में वर्ष 2014–15 में केवल रू0 2,32,92,009.00 मूल्य के बिलों से सामग्री का विक्रय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड कार्यालय सितारगंज को होना घोषित किया है, जबकि खण्ड कार्यालय सितारगंज के द्वारा फर्म को किये गये भुगतान से संम्बन्धित लिखित उत्तर में विक्रेता फर्म को वर्ष 2014–15 रू0 2,60,74,100.00 फर्म का भुगतान किया बताया गया था। तथा वर्ष 2015–16 में मात्रा 40 मीट्रिक टन के लिये रू0 25,88,000 अर्थात कुल भुगतान रू0 2,86,62,100.00 होना बताया गया है। अतः अन्तर मूल्य रू0 27,82,091.00 मूल्य की क्रय सामग्री का विक्रय कुटेशन फर्म मैसर्स वर्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर को अधिक कर दिया गया था। जिसकी वसूली 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से करके राजकोष में किये जाने योग्य है।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में जारी आपूर्ति आदेशों के सापेक्ष मैसर्स वर्धमान मशीनरी कॉरपोरेशन किच्छा रोड रूद्रपुर से

सामग्री जी0आई0वायर के बीजक ही प्राप्त हुये थे, सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय के रिकॉर्ड एवं अभिलेखों में उपलब्ध नही है सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियो से ज्ञात कर बताया जायेगा।

विभाग के द्वारा स्वंय अपने उत्तर में स्वीकार किया गया है कि खण्ड कार्यालय में केवल आपूर्ति आदेशो एवं सामग्री क्रय के बीजक ही है। क्रय सामग्री प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख भुगतान प्राप्ति रसीदें ,माल प्रेषण के चालान,माल भॉडे की ट्रॉसपोर्टरों की बिल्टी, प्रेषण एवं प्राप्त सामग्री की मात्रा से सम्बन्धित बजन धर्म कॉटे की रसीदें, सामग्री प्राप्ति अंकन की वह माप पुस्तिका जिसमें सामग्री प्राप्ति के अभिलेखों को अंकन किया गया हो अन्य इत्यादि साक्ष्य ना होना तथा फर्म के द्वारा भी अपनी बिक्री कम मूल्य की वाणिज्य कर विभाग में घोषित करने से स्पष्ट होता है कि केवल सामग्री का भुगतान किया गया था, फर्म से सामग्री की प्राप्त ही नही हुई थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 6 – असम्यक नियोजन व विभागीय लापरवाही के फलस्वरूप नवोदिया, पूरनगढ़ एवं मटिहा माईनर के आधुनिकीरण एवं पुनरोद्धार योजनान्तर्गत धनराशि रू. 31.35 लाख के कार्यो का अनाधिकृत निष्पादन एवं धनराशि रू. 16.65 लाख की शासकीय हानि।

नाबार्ड के पत्र संख्या NBSPD/4165/RIDF-XX (Uttarakhand) 147 PSC-20.02.2015/2014-15 दि0 24.2.2015 क्रम में आर0आई0डी0एफ0–XX के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड सितारगंज की नावोदिया, पूरनगढ़ एवं मटिहा नहर के आधुनिकीरण एवं पुनरोद्धार की योजना स्वीकृत हुई थी। इस योजना की लागत रू0 933.52 लाख थी। योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (कुमॉऊ) द्वारा मई, 2015 में प्रदान की गयी थी। तकनीकी स्वीकृति के बिन्दु 4 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि स्वीकृत योजना के स्वरूप में किसी भी प्रकार के फेरबदल से पहले नाबार्ड एवं सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड, सितारगंज के अभिलेखों की जॉच में संज्ञान में आया कि योजनान्तर्गत नवोदिया माईनर में लाईनिंग का कार्य शून्य से 6.60 किमी तक, पूरनगढ़ माईनर में 2.360 किमी से 5.500 किमी तक एवं मटिहा माईनर में शून्य से 1.200 किमी तक कराया जाना था। पूरनगढ़ माईनर में खण्ड द्वारा धनराशि रू. 31.35 लाख के अधोलिखित अतिरिक्त कार्यो का निष्पादन नाबार्ड एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कराया गया था–

क्र.	कराये गये कार्यों का विवरण	अनुबंध संख्या/वर्ष	अनुबंधित राशि रू. में
1.	पूरनगढ़ माईनर में रीच शून्य से 0.245 किमी तक तली निर्माण कार्य	101/AE–2/2015–16	4,59,545
2.	पूरनगढ़ माईनर में रीच 0.735 से 0.980 किमी तक तली निर्माण कार्य	126/AE–2/2015–16	4,59,050
3.	पूरनगढ़ माईनर में रीच 5.507 किमी से 5.530 किमी तक लाईनिंग का कार्य	241/AE–2/2015–16	1,87,164
4.	पूरनगढ़ माईनर में रीच 5.530 किमी से 5.548 किमी तक लाइनिगं का कार्य	242/AE–2/2015–16	1,49,100
5.	पूरनगढ़ तक लाइनिंग में रीच 0.500 किमी से	234/AE–2/2015–1	4,73,040

	1.00 किमी पटरी एवं सेवा मार्ग **में** मिट्टी भरान का कार्य	6	
6.	पूरनगढ़ माईनर में रीच शून्य से 0.500 किमी तक पटरी एवं सेवा मार्ग में मिट्टी भरान कार्य	240 / AE–2 / 2015–16	4,64,000
7.	पूरनगढ़ माईनर में रीच 1.00 से 1.500 किमी तक पटरी एवं सेवा मार्ग का निर्माण कार्य	243 / AE–2 / 2015–16	4,74,950
8.	पूरनगढ़ माईनर में रीच 1.500 से 2.00 किमी तक पटरी एवं सेवा मार्ग में मिट्टी भरान कार्य	237 / AE–2 / 2015–16	4,68,800
	योग		**31,35,649**

चूँकि पूरनगढ़ माईनर में स्वीकृत आगणन के अनुसार रीच 2.360 से 5.500 किमी तक ही लाईनिंग कार्य कराये जाने थे, बावजूद इसके खण्ड द्वारा उक्त के अतिरिक्त अन्य रीचों पर अन्य कार्य कराये गये थे जिसके सम्बन्ध में स्वीकृति आदेश सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

अभिलेखों की जॉच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि खण्ड द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–01 / अ0अ0 / 2017–18 द्वारा दि0 16.12.2017 को रीच 1.120 किमी से 3.970 किमी तक नवोदिया नगर के **पुनरोद्धार** एवं आधुनिकीकरण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा **आमंत्रित** की **गयी** थी। निविदा खण्ड द्वारा 18.12.2017 को खोली गयी थी। तकनीकी बिड़ खोले जाने के पश्चात खण्ड द्वारा त्रुटिवश सभी ठेकेदारो की तकनीकी बिड़ को योग्य मानते हुए फाईनेंशियल बिड़ खोल दी गयी थी। तत्पश्चात् प्रथम न्यूनतम दर अंकित करने वाले ठेकेदार की तकनीकी बिड़ को खण्ड द्वारा योग्य नहीं पाया गया एवं जनवरी, 2018 में खण्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु पुनः निविदा **आमंत्रित** की गयी। प्रथम न्यूनतम दर उसी ठेकेदार की पायी गयी जिसे पहले **आमंत्रित** निविदा में न्यूनतम पाया गया था। किन्तु **द्वितीय आमंत्रित** निविदा में दरों के अन्तर के कारण कार्य की लागत में रू0 16.65 लाख की अप्रत्याशित वृद्धि हुई क्योंकि वहीं ठेकेदार प्रथम **आमंत्रित** निविदा के आधार पर उस कार्य को रू0 40,85,230 / में करने को तैयार था जबकि दूसरी बार **आमंत्रित** निविदा के आधार पर उस कार्य की लागत रू0 57,49,739 / थी। इस प्रकार, विभागीय लापरवाही एवं

असम्यक नियोजन के कारण समान कार्य के सम्पादन में शासन को रू0 16.65 लाख की हानि हुई।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता से पत्राचार के उपरान्त बिन्दुवार **उत्तर** प्रस्तुत किये जाने का आश्वासन दिया गया।

खण्ड द्वारा आपत्तियों का यथोचित उत्तर न दिया जाना लेखा–परीक्षा आपत्तियों की सत्यता की स्वतः पुष्टि करता है। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 7 – मिट्टी पर रॉयल्टी न काटे जाने से धनराशि रू0 639724 की शासकीय हानि।

शासन की अधिसूचना संख्या–211/VII–1/24–ख/2007 दि0 26 फरवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रॉयल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–8 में शासन की अधिसूचना संख्या 842/ VII –1/2016/24–ख/2007 दि0 19.05.2016 द्वारा विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तक में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायॅल्टी की दर को संशोधन किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड, सितारगंज के अभिलेखों की जॉच में संज्ञान में आया कि अद्योलिखित कार्यो हेतु प्रयुक्त मिट्टी की मात्रा पर खण्ड द्वारा रॉयल्टी नहीं काटी गयी थी।

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान किये गये बिल का विवरण	कार्य में प्रयुक्त मिट्टी की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर (अधिसूचना 842 मई 2018 के आधार पर न्यूनतम)	रॉयल्टी की कुल राशि (रू0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नाबार्ड के अन्तर्गत कतना कैनाल का आधुनिकीकरण	264/26.6.18	578.91	50	28945.5
2.	नाबार्ड के अन्तर्गत अपर बैगुल नहर का आधुनिकीकरण	300/26.6.18	527.01	50	26350.5
3.	–तदैव–	302/26.6.18	445.33	50	22266.50
4.	–तदैव–	317/26.6.18	575.20	50	28760
5.	–तदैव–	315/26.6.18	313.04	50	15652
6.	–तदैव–	308/26.6.18	577.04	50	28841
7.	नाबार्ड के अन्तर्गत खटीमा में लोहिया	AG/01/ AE 3/2017–18	3083.72	50	154386

	नहर में लाईनिंग निर्माण				
8.	–तदैव–	AG/02/ AE 3/2017–18	3472.28	50	173614
9.	–तदैव–	AG/03/ AE 3/2017–18	3217.95	50	160897.5
योग				**रूपये**	639724/–

इस प्रकार, मिट्टी पर रॉयल्टी न काटे जाने से शासन को मई 2017 से अक्टूबर 2018 के दौरान रू0 639724 की हानि हुई।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, केवल उन बिलों का विवरण उपलब्ध कराया गया जिन पर रॉयल्टी नहीं काटी गयी थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 8– दैवीय आपदा के अन्तर्गत धनराशि रू0 99.33 लाख का अनियमित व्यय एवं धनराशि रू0 33.10 लाख के दायित्वों का लम्बित रहना।

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए, तत्पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

सिचांई खण्ड, सितारंज के अभिलेखों की जॉच में प्रकाश में आया कि खण्ड द्वारा दैवीय आपदा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह 7/2017 से माह 9/2017 के मध्य स्थानीय कृषकों की कृषि भूमि के कटाव को रोकने एवं विभागीय परिसम्पत्तियों को सम्भावित क्षति से बचाने हेतु 17 कार्य सम्पादित कराये गये थे। सम्पादित कार्यो की प्राक्कलित राशि रू0 127.10 लाख थी एवं इन कार्यो पर रू0 99.33 लाख का व्यय खण्ड द्वारा किया गया था। संदर्भित सभी 17 कार्य खण्ड द्वारा पूर्ण किये जा चुके थे किन्तु सम्प्रेक्षा तिथि (अक्टूबर 2018) तक उक्त कार्यो की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार, खण्ड द्वारा उक्त कार्यो पर प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के बिना धनराशि रू0 99.33 लाख का अनियमित व्यय किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 में दैवीय आपदा के अन्तर्गत खण्ड को 14 कार्यो हेतु स्वीकृत राशि रू0 170.58 लाख के सापेक्ष रू0 137.47 लाख की राशि अवमुक्त की गयी थी जिसका उपभोग खण्ड द्वारा कर लिया गया था। खण्ड द्वारा अवशेष राशि रू0 33.11 लाख की मॉग जिलाधिकारी कार्यालय से करने पर कार्यालय द्वारा यह कहते हुए धनराशि अवमुक्त करने से इन्कार कर दिया गया था कि खण्ड द्वारा अवशेष राशि की मॉग विलम्ब से की गयी थी क्योंकि जिलाधिकारी के पत्रांक 191/ तेरह–सी0आर0सी0ए0/ 2016–17 दिनांक 24.12.2016 द्वारा जारी आदेश के पैरा–II में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा कि कार्य पूर्ण होने की तिथि से विलम्बतम् 30 दिन के भीतर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए अवशेष राशि हेतु मॉग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर दिया जायेगा अन्यथा कार्यदायी संस्था इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होगी। परिणाम स्वरूप धन अभाव के कारण वर्ष 2016-17 से धनराशि रू0 33.11 लाख के भुगतान लम्बित थे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन के मौखिक निर्देश पर जनहित के दृष्टिगत उक्त कार्य सम्पादित कराये गये थे। द्वितीय किस्त की मॉग विलम्ब से किये जाने के क्रम में खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय किस्त की मॉग अक्टूबर 2017 में की गयी थी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि कार्य प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व खण्ड द्वारा जिला प्रशासन के लिखित आदेश प्राप्त किये जाने चाहिए थे । द्वितीय किस्त की मॉग अक्टूबर 2017 में किये जाने का खण्ड का तर्क भी औचित्य पूर्ण नहीं था क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि वर्ष 2016/17 में स्वीकृत कार्यो की द्वितीय किस्त की मॉग वर्ष 2017–18 में किये जाने का कोई तर्क नहीं था क्योंकि वर्ष 2016/17 में प्राप्त बजट की राशि वर्ष की समाप्ति पर शासन को समर्पित कर दी गयी थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 9– निक्षेपित कार्यो की अनुसूची प्रारूप–65 एवं निक्षेपणों की अनुसूची प्रारूप–79 भाग तीन के अन्तिम शेष में धनराशि रू0 14.10 लाख का अन्तर।

सिचांई खण्ड, सितारगंज के अभिलेखों एवं खण्ड के मासिक लेखों (जुलाई 2013 से सितम्बर 2018) के अवलोकन में ज्ञात हुआ है कि सितम्बर, 2018 में मासिक लेखों के साथ सलंग्न निक्षेपित कार्यो की अनुसूची प्रारूप–65 के अनुसार, निक्षेप का अन्तिम शेष रू0 44.39 लाख था जबकि निक्षेपणों की अनुसूची प्रारूप–79 भाग–तीन के अनुसार, निक्षेप मद का अन्तिम शेष रू0 30.29 लाख था अर्थात् दोनों अनुसूचियों के अनुसार, निक्षेप मद के अवशेषों में रू0 14.10 लाख का अन्तर था। इसके अतिरिक्त, खण्ड के निक्षेप लेखों में निम्न त्रुटियॉ भी परिलक्षित हुई–

(1) उक्त अवधि में निक्षेपित कार्यो की अनुसूची प्रारूप–65 के अनुसार, प्राप्ति शीर्ष में रू0 19.46 करोड़ की जमा एवं व्यय शीर्ष में रू0 19.02 करोड़ का अखण्ड दिखाया गया था जबकि रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष के अनुसार निक्षेप मद में रू0 20.08 करोड़ की जमा तथा कोषागार पास बुक के अनुसार निक्षेप मद से रू0 20.61 करोड़ का आहरण हुआ था।

(2) प्रारूप–65 के अनुसार खण्ड के डी0एस0एल0 खाते में रू0 44.39 लाख का क्रेडिट शेष था जबकि रोकड बही एवं कोषागार पास बुक के अनुसार डी0सी0एल खाते में सितम्बर 2018 में रू0 53.43 लाख का ऋणात्मक शेष था।

(3) खण्ड के डी0सी0एल0 खाते से रू0 68.86 लाख का अनियमित संदेहास्पद आहरण किया गया था एवं रू0 0.90 लाख की राशि जो उपखण्डों से निविदा बिक्री के रूप में प्राप्त हुई थी, डी0एस0एल0 खाते में जमा नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया कि मासिक लेखा खण्डीय लेखाकार द्वारा तैयार किया जाता है, तत्पश्चात् महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि लेखों के उचित रख–रखाव का दायित्व खण्डीय लेखाकार के साथ–साथ खण्डीय अधिकारी का भी था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2ब

प्रस्तर-10 : स्टॉक पंजिका व अन्य अभिलेख अपूर्ण रहने के कारण रु 429.09 लाख धनराशि की सामग्री के उपभोग /अवशेष की सूचना का अप्रस्तुत रहना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 195 के अनुसार Government servants entrusted by the divisional officer with the care, use or consumption of stores are responsible for maintaining correct records and preparing correct returns in respect of the stores entrusted to them. वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 196 के अनुसार All transaction of receipts and issued should be recorded strictly in accordance with the rules, in the order of occurrence and as soon as they take place. Fictitious stock adjustments are strictly prohibited, such for example, as (I) the debiting to a work of the cost of materials not requires or in excess of actual requirements, (2) the debiting to a particular work for which funds are

available of the value of materials intended to be utilized on another work for which no appropriation has been sanctioned,(3) the writing back of the value of materials used on a work to avoid excess outlay over appropriation etc. Any breach of this rule constitutes a serious irregularity, which will be brought prominently to the notice of the Government by the Accountant-General.

कार्यालय मे निर्माण कार्य एवं अन्य उपयोग हेतु स्टॉक/अन्य सामग्री/ टी एंड पी क्रय एव उपयोग की सूचना वर्ष 2013-14 से 2018-2019 तक निम्न धनराशि क्रय की गयी थी स्टॉक पंजिका पूर्ण नहीं होने की वजह से पंजिका की जांच नहीं की जा सकी एवं निम्न राशि /अवशेष राशि के स्टॉक /उपभोग आदि की जांच नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	सामग्री की धनराशि (रु. में)	क्रय की तिथि	उपभोग की तिथि	अवशेष सामग्री की राशि
1	जी,आई, वायर	257280.00	29/1/14		
2	,,	499730.00	1/3/14		
3	,,	499730.00	4/3/14		
4	,,	499730.00	5/3/14		
5	,,	499730.00	3/3/14		
6	,,	9994600.00	26/3/14		
7	,,	1947000.00	29/3/14		
8	फर्नीचर	29800.00	6/9/14		

9	स्टेशनरी	12471.00	30/9/14		
10	,,	7350.00	30/1/15		
11	जी आई वायर	4529000.00	24/12/14		
12	,,	4529000.00	17/1/15		
13	,,	4723100.00	13/2/15		
14	,,	4529000.00	16/2/15		
15	,,	3882000.00	19/2/15		
16	,,	3882000.00	20/2/15		
17	,,	2588000.00	14/12/15		
		4,29,09,521.00			

उपरोक्त 429.09 लाख राशि की सामग्री का उपयोग कब हुआ कोई सामग्री अवशेष है या नहीं खंड द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है स्टॉक पंजिका व अन्य अभिलेख पूर्ण नहीं थे । अत: स्टॉक पंजिका व अन्य अभिलेख पूर्ण नहीं होने की वजह से 429.09 लाख सामग्री के उपभोग /अवशेष के अभिलेखो का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका है । प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर -11: रु 18,55,48,191.00 के अंतर का असमायोजित रहने का प्रकरण।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 741 के अनुसार माह की समाप्ति पर यथाशीघ्र खंड के लेन-देन का कोषागार के साथ मासिक मिलान एव भिन्नताओ का समायोजन किया जाना चाहिए । कार्यालय की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - फार्म 51 के भाग प्रथम के अनुसार धनराशि रु 18,55,48,191.00 (विवरण संलग्न) को कोषागार द्वारा जमा के रूप मे सत्यापित नहीं किया गया है कार्यालय द्वारा जमा होना दर्शाया गया है इस राशि का कोषागार से सत्यापन/समाधान अभी तक क्यो नहीं किया गया है जब कि राशि का अंतर वर्ष 2013 से 2017 के मध्य का है इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- वर्तमान मे ही संशोधित फार्म -51 तैयार करने के पश्चात उक्त अवशेष प्रदर्शित हो रहे है जिसके समायोजन हेतु कोषागार से पत्राचार की कार्यवाही की जाएगी ।

उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यह प्रकरण कोषागार मे जमा राशियो से संबन्धित है समाधान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशि यदि कोषागार मे जमा नहीं हुई तो इसके क्या कारण है राशि कहाँ गयी ताकि यथा संभव उचित कार्यवाही की जा सके।

अत: रु 18,55,48,191.00 के अंतर का असमायोजित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

Hkkx nks (ब)

प्रस्तर सं0 12 रू0 2470.00 लाख लोहिया नहर के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार की योजना धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त

नियम 3 (1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। (2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी। (3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। (4) अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिएं जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भण्डारण लागत (इन्वेन्टरी कैरिईगं कॉस्ट) में अनावश्यक वृद्धि न हो। (5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है। (6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है। (7) सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होगा कि प्रस्तावित दरें युक्तियुक्त हैं और गुणवत्ता के अनुरूप हैं। (8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए। (9) परक्रामण(निगोषिएशन) से बचा जाए और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले (एल–1) से ही समझौते की वार्ता की जा सकेगी तथा ऐसे परक्रामण के कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाए। (10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। (11) एकरूपता बनाए रखने तथा कार्य की पुनरावृत्ति और सम्भावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए। (12) विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संविदा, निविदा के वैध समय के अन्दर ही दी जाए और निविदा की वैध तिथि बढाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों

में ही ऐसा किया जाए। (13) वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः– (एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले, (दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए, (तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और (चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा

नियम 13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

नियम 24(1) सभी शासकीय क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पादित किये जायं, ताकि व्यय की जाने वाली धनराषि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा करने से भावी निविदादाता पूर्ण विष्वास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत कर सकेंगे।

कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि नाबार्ड के पत्र संख्या-NB.SPD/4165/RIDF-XX(uttrakhand)/147PSC-20.2.2015/2014-2015 dated 24-2-2015 के क्रम में RIDF-XX के अन्तर्गत जनपद उधमसिह नगर के विकास खण्ड खटीमा की खटीमा नहर संख्या 01,04,05,07,08,09,10 एवं लोहिया नहर के **आधुनिकीकरण** एवं **पुनरोद्धार** की योजना लागत 2470.45 की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 20 मई 2015 को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी थी। योजना वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2017–18 तक पूर्ण की जानी थीं, जबकि माह 3/2018 तक योजना की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति 1414.8957(57 प्रतिशत) एवं कार्य की भौतिक प्रगति 15,400.00(77 प्रतिशत) ही थी। योजना की वित्तीय प्रगति 43 प्रतिशत एवं कार्य की भौतिक प्रगति 23 प्रतिशत होनी अवशेष थी। मुख्य अभियन्ता कुमाउ के कार्यालय पत्रांक संख्या 2066 दिनांक 20.5.2015 ज्ञाप संख्या में बिन्दु संख्या 2 स्वीकृति के विरूद्व कार्यो के पृथक–पृथक विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करना सुनिश्चित करे। **इस** का अभिप्राय था कि नहर संख्या अनुसार अर्थात एक नहर का एक प्राक्कलन गठित कर पूर्व अनुमोदित दरों को सम्मलित करते हुऐ सक्षम अधिकारी से स्वीकार करने के लिये कहा गया था, जबकि खण्ड कार्यालय के द्वारा आदेशों की अवहेलना करते हुऐ खण्ड कार्यालय के द्वारा रींच के अनुसार प्राक्कलन गठित किये गये थे, जिन पर अधीशासी अभियन्ता द्वारा कार्यालय के विभिन्न पत्रांकों से एक ही तिथि 18/6/2015 को तकनीकी

स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यालय के द्वारा नाबार्ड से स्वीकृत योजना एवं तकनीकी स्वीकृति के सापेक्ष कार्य का एक अनुबन्ध गठित ना करके नाबार्ड की गार्ड लाइन एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 42(1) का स्पष्ट **उल्लंघन** एक ही कार्य को विभिन्न टुकडों में बॉटकर डी श्रेणी के संविदाकारों से अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था। जबकि कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उच्चकोटि के संविदाकारों से निविदा आमंत्रित कर कार्य को कराना चाहिऐ था, जिससे ना तो नियमों का **उल्लंघन** होता और ना ही कार्य की गुणवत्ता ही प्रभावित होती है। नाबार्ड के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन/व्यय विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	आवंटन	व्यय	गठित	अनुं0सं0
2015–16	714.21	714.21	374	19,03,15,496
2016–17	325.00	325.00	280	10,16,86,474
2017–18	375.68	375.68	03	13,11,750

नाबार्ड कार्यो के वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक गठित अनुबन्ध में से केवल अनुबन्ध संख्या 25 एवं 28 वर्ष 2015–16 ही प्रस्तुत किया गया था, अन्य अनुबन्धों को सहायक अभियन्ता से मॉगने पर जैसे, अनुबन्ध,व्यय वाउचर, एवं कार्य की माप पुस्तिकाऐ प्रस्तुत नही किया गया है। वस्तु एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 के अनुसार पूर्व में गठित आगणनों की दरों एवं संविदाकारों के द्वारा दी गयी शिडूयल बी की दरों को पुनरीक्षित करने के उपरान्त ही निर्धारित प्रारूप में टैक्स इन्वाइस लेकर ही संविदाकारों को भुगतान किया जाना था, परन्तु इसका भी पालन सुनिश्चित किये बिना ही जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि का संविदाकारों को भुगतान किया गया था। बल्कि पूर्व की दरों पर ही 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि को और जोडते हुऐ संविदाकारों को उनके देयकों का अधिक भुगतान खण्ड कार्यालय के द्वारा किया गया था।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2018–19 में पूर्व में किये गये कार्यो का भुगतान किया गया है। सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य की आवश्यकतानुसार एवं शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यो को टुकडों में बॉट कर कार्य किये गये है। नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। पूर्व में गठित आगणन/अनुबन्ध दरों को जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त पुनरीक्षित नही कराया गया है क्योकि अुनबन्ध वर्ष 2015–16 में गठित किये गये थे। दिनांक 1–7–2017 से नियमानुसार 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान पूर्व दरों पर गणना करके दिया जा रहा है। बेसिक मूल्य ज्ञात नही किये गये, भविष्य में प्रयास किया जायेगा। भविष्य में कार्यो को टुकडों में विभाजित कर अनुबन्ध गठित नही किये जायेगे।

विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित नियमों का सम्पूर्ण ज्ञान होने पर भी उनका स्पष्ट उल्लघंन करके शासकीय धनराशि को टुकडों में इसलिये विभाजित कर अनुबन्ध गठित किया जाना की उच्चाधिकारियों से इसकी अनुमति ना लेनी पडे। इससे विभागीय अधिकारी की मंशा स्पष्ट थी, कि उनके द्वारा नियमों का पालन कर प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ उच्चकोटि के संविदाकारों से प्राप्त करना नही था। बल्कि उन

संविदाकारों को अनैतिक लाभ पहुॅचाना था, जिनके पास ना तो तकनीकी स्टॉफ था और ना ही कार्य को करने के लिये अपनी कोई टी0एण्ड पी ही थीं। बिना तकनीकी स्टॉफ के कार्य **किये** जा चुके नाबार्ड योजना के कार्यो की गुणवत्ता एवं प्रयोग की गयी सामग्री की गुणवत्ता को विभाग के द्वारा स्वंय एवं थर्ड पार्टी के निरीक्षण से भी सुनिश्चित नही कराया गया था। जोकि पूर्ण हो चुके कार्यो के अंतिम भुगतान करने से पहले आवश्यक थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
21/2017-18	-	---	1,
योग	**00**	**00**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेसित की जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, सितारगंज** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1) श्री	संजय राज	अधिशासी अभियंता
(2) श्री	सुभाष चन्द्र रमोला	अधिशासी अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   (1) श्री धर्मेन्द्र कुमार पासवान खण्डीय लेखाधिकारी

   (2) श्री माता प्रसाद खण्डीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, सितारगंज**, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए । (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2